भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2221
उत्तर देने की तारीख: 11.03.2026

सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति

2221 श्रीमती राजाथी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने भर्ती प्रपत्रों में ट्रांसजेंडर वर्ग को शामिल करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश या आरक्षण कोटा जारी किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के निर्णय के बाद से सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सरकार ने लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लोक नियोजन में शामिल करने के लिए कई उपाय किए हैं। उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), अधिनियम, 2019 के अंतर्गत, यह स्थापना का दायित्व होता है कि वह भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों सहित रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भेदभाव न करे, परंतु यह इन्हीं मुद्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

विभाग ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों आदि तक समान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

(ख) से (ग): जी, हां। सरकार ने विभिन्न भर्ती/आवेदन पत्रों में पुरुष और महिला के विकल्पों के साथ-साथ 'ट्रांसजेंडर/थर्ड जेंडर' का विकल्प प्रदान करने के लिए एडवाइजरी जारी की है ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सरकारी पदों के लिए आवेदन कर सकें।

आरक्षण का मामला इस समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(घ): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के संबंध में विभाग द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*****